चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 04.06.2026 को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा द्वारा 29वीं प्रयागराज जोन अंतर्जनपदीय वार्षिक फुटबॉल(महिला/पुरूष) प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया शुभारम्भ । प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के जनपद प्रयागाराज,कौशाम्बी,प्रतापगढ़,फतेहपुर,हमीरपुर,महोबा,बांदा एवं जनपद चित्रकूट की टीमों ने भाग लेकर खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि आपसी सौहार्द, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के विभिन्न जनपदों से आई टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजन समिति द्वारा खिलाड़ियों एवं दर्शकों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आयोजक ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना तथा फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु भी किया जाएगा। समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।
शुभारम्भ के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय,क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव उपस्थित रहें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।
आवेदिका भाग्यवती पटेल पत्नी मनीष कुमार निवासी भगनपुर चौकी खोही जनपद चित्रकूट ने अपने पति मनीष कुमार के विरूद्ध शराब पीकर गाली गलौज,मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी व महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी
2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में आयोजित टी.जी.टी. परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षार्थ पुलिस एवं संबंधित जांच एजेंसी द्वारा टी.जी.टी. परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता पूर्ण सम्पन्न कराये जाने के

दृष्टिगत प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल की ड्यूटी लगायी गयी थी। टी.जी.टी. परीक्षा में अवैध तरीके से सेंधमारी कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.दिलीप कुमार पुत्र सूरज भान सिंह निवासी महिचा मंदिर पोस्ट खाचमऊ थाना कोतवाली खागा जनपद फतेहपुर

2. विकास सिंह पुत्र शंकर लाल निवासी महिचा मंदिर पोस्ट खाचमऊ थाना कोतवाली खागा जनपद फतेहपुर

बरामदगीः-

1.फर्जी आधार कार्ड विकास सिंह

2.फर्जी पैन कार्ड विकास सिंह

संक्षिप्त विवरण-

रूद्रनारायण पाण्डेय केन्द्राध्यक्ष कृषक इण्टर कॉलेज भौरी, रैपुरा जनपद चित्रकूट ने एक तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 03.06.2026 को प्रथम पाली में प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2026 में अनुक्रमांक नं0 0405026898 पर विकास सिंह परीक्षा दे रहा था। प्रातः10.49 बजे दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि अनुक्रमांक नं0 0405026898 पर विकास सिंह की बायोमैट्रिक मैच नही हो रहा है। इसके उपरान्त कार्यदायी संस्था के कर्मियों के माध्यम से उक्त अभ्यर्थी की पुनः बायोमैट्रिक प्रक्रिया करायी गयी जिसमें फेश एवं फिंगर अथेन्टिकेशन पूर्ण रूप से मिस मैच हो रहा था,जिसकी सूचना पुलिस नोडल अधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गयी महोदय द्वारा तत्काल एसओजी एवं सर्विलांस टीम को मौके पर भेजकर सघन जांच करायी गयी तो विकास सिंह के नाम से आधार नं0 292094025154 को यू.आई.डी.ए.आई.-जी.ओ.वी. पोर्टल पर चेक किया गया तो उक्त साइड पर उपलब्ध आधार नं0 292094025154 में भिन्न व्यक्ति की फोटो पायी गई। तब परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम दिलीप कुमार पुत्र सूरजभान सिंह निवासी महिचा मंदिर पोस्ट खाचमऊ थाना कोतवाली खागा जनपद फतेहपुर है। वह अपने चचेरे भाई विकास सिंह पुत्र शंकरलाल निवासी महिचा मंदिर पोस्ट खाचमऊ थाना कोतवाली खागा जनपद फतेहपुर की जगह पर परीक्षा में बैठा था। जिस पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 168/2026 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 3/10 बनाम 1.दिलीप कुमार पुत्र भान सिंह 2.विकास सिंह पुत्र शंकर लाल निवासीगण महिचा मंदिर खागा जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री एम.पी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी	1.उ0नि0 श्री रविकान्त राय
2.आरक्षी रोहित सिंह	2. उ0नि0 रामप्रीत सिंह
3.आरक्षी रोशन सिंह	3. मुख्य आरक्षी नीतेश सचान
4.आरक्षी गोलू भार्गव	4. रि0आरक्षी विशाल
5.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा	5. रि0म0आरक्षी निदा जाहिद
6.आरक्षी पवन कुमार	6. रि0म0आरक्षी अजिता